

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भित्ताई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 मार्च 2019 — फाल्गुन 14, शक 1940

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-17/2018/20- दो. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 कहलायेंगे.
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - “प्रशासकीय अधिकारी” से अभिप्रेत है विभाग में सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य एवं अन्य समकक्ष अधिकारी से संचालक स्तर तक के अधिकारी;
 - सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन तथा इसमें सम्मिलित है इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
 - “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
 - “समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची-तीन एवं चार में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति या चयन समिति;
 - “आयुक्त” से अभिप्रेत है आयुक्त, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़;
 - “संचालक” से अभिप्रेत है संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़;
 - “परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
 - “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

- (झ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
- (ञ) "व्याख्याता (पंचायत)/व्याख्याता (नगरीय निकाय), शिक्षक (पंचायत)/शिक्षक (नगरीय निकाय) एवं सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय)" से अभिप्रेत है विभाग के शालाओं में अध्यापन के लिये नियुक्त तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन व्यक्ति;
- (ट) "सीमित विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित परीक्षा, जिसमें विभाग के अधीन शिक्षक तथा पंचायत एवं नगरीय निकायों के अधीन शिक्षक के रूप में नियोजित व्यक्ति ही पात्र होंगे;
- (ठ) "स्थानीय निवासी" से अभिप्रेत है शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी;
- (ड) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ढ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ण) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (त) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (थ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग);
- (द) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;
- (ध) "शिक्षक" से अभिप्रेत है राज्य की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के प्रयोजन हेतु नियुक्त ई-संवर्ग, टी-संवर्ग, ई (एल.बी.) और टी (एल.बी.) संवर्ग के शिक्षक;
- (न) "शिक्षक पात्रता परीक्षा" से अभिप्रेत है शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिये आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा।

3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—
 - (क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
 - (ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;
 - (ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों;
 - (घ) वे व्यक्ति, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2012 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 के उपबंधों द्वारा भर्ती किये गये हों तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2013 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013 के द्वारा भर्ती किये गये हैं एवं आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों एवं जिनके द्वारा, नियोक्ता विभाग में रहने का विकल्प नहीं दिया गया है एवं संविलियन के माध्यम से सेवा में शामिल किये गये हों।
5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।
6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—
 - (क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार) अथवा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (घ) ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के संविलयन द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को धारण करते हों एवं किसी शासकीय सेवा में समकक्ष वेतनमान/पद पर सेवारत हो।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अधीन भर्ती किये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, आयोग/शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।
- (4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (5) सेवा में सीधी भर्ती से नवनियुक्त शिक्षक, ई-(एलबी)/टी-(एलबी) संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे।
7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।
8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.— सीधी भर्ती/चयन/सीमित विभागीय परीक्षा के लिये पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—
- (एक) आयु:— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन पर अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (घ) निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी;
- (ङ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण:—**“छंटनी किये गये शासकीय सेवक” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय

सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

- (च) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:—“भूतपूर्व सैनिक” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);
- (4) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

- (5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- टीपः—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (ड) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में दर्शित है। प्रारंभिक शिक्षा के लिये, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार विहित अर्हतायें लागू होंगी।

(तीन) फीस— (क) अभ्यर्थी को आयोग/संचालक द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व, चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हताएं— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग/संचालक द्वारा चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ,

तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद लिए पात्र नहीं होगा।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हतायें, अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग/संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग/संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग/चयन समिति द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन/संचालक को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग/चयन समिति के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है

अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग/संचालक द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. चयन (प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार) तथा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती—

- (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन/संचालक, आयोग/शासन के परामर्श से, समय-समय पर, अवधारित करे।
- (2) उप संचालक, प्राचार्य एवं सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद के लिये परीक्षा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी तथा अन्य पदों के लिये परीक्षा, संचालक लोक शिक्षण द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन/संचालक द्वारा क्रमशः आयोग/शासन के परामर्श से, समय-समय पर जारी करे।
- (3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग/संचालक अवधारित करे।
- (4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अध्यक्षीन रहते हुए, नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।
- (6) उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 49) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार, पदों का आरक्षण, 7 प्रतिशत रहेगा।
- (7) आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिये

उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थी, जो महिला/निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, कि नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग/संचालक द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय हो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में, अपेक्षित अनुभव के साथ, उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग/संचालक के परामर्श से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग/संचालक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची.- (1) आयोग/संचालक, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं हो, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग/संचालक द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, की सूची मेरिट क्रम में तैयार करेगा, जिसकी वैधता, पद में नियुक्ति के लिये शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से छः माह की होगी। जहां संचालक,

लोक शिक्षण, नियुक्ति प्राधिकारी है, वहां चयन सूची की वैधता, इस प्रकार चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से छः माह की होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग/संचालनालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग/चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिए एक चयन सूची तैयार की जायेगी। ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। प्रतीक्षा सूची की वैधता, ऐसे चयन सूची के जारी होने की तारीख से नौ माह की होगी।

स्पष्टीकरण:- प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25 प्रतिशत का आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित होने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, की वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग/संचालक द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित/अनुमोदित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

13. परिवीक्षा— (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (ख) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- (ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य न हो, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।
14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य शामिल होंगे:
- परन्तु इस उप-नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।
- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः 1 (एक) वर्ष से अधिक न हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाने गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें— (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण:— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी-कम-फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आए आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, उनके नाम चयन

सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक चयन सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हे समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से न्यूनतम एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे। उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

17. आयोग से परामर्श.— (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा आयोग को एवं समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जायेगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अभिलेखों के आधार पर समिति का अभिमत।

(तीन) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति की बैठक में आयोग/अध्यक्ष द्वारा नामांकित कोई सदस्य, पदोन्नति समिति में उपस्थित रहे हों तथा बैठक के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर हो तो उप-नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. चयन सूची.— (1) समिति/शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

जहां स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नियुक्ति प्राधिकारी है, ऐसे मामले में आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा। यदि आयोग की राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, इस पर विचार करने के पश्चात् कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त हो, शासन सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) जहां स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नियुक्ति प्राधिकारी है, ऐसे मामले में उन पदों की चयन सूची संचालक, लोक शिक्षण द्वारा अनुमोदित की जायेगी तथा उक्त चयन सूची पदोन्नति के लिये अंतिम सूची होगी।

(5) चयन सूची की वैधता, इसके तैयार किये जाने की तारीख के कैलेण्डर वर्ष की 31 दिसम्बर तक ही होगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग/संचालक, यदि उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हो।

(2) साधारणतः उस अधिकारी की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हों, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग, समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसे कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

(3) ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नत नहीं किया जायेगा, यदि उसकी विभागीय जांच चल रही हो या अभियोजन संस्थित हो, जब तक की जांच या अभियोजन पूरा न किया गया हो।

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसे रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चंद्राकर, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-16	राज्य शासन
2.	संचालक, विभागीय	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-16	स्कूल शिक्षा विभाग
3.	वित्त नियंत्रक	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-16	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
4.	अपर संचालक	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-15	स्कूल शिक्षा विभाग
5.	राज्य मुख्य ग्रंथपाल	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-14	स्कूल शिक्षा विभाग
6.	संयुक्त संचालक	8	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-14	स्कूल शिक्षा विभाग
7.	अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-13	स्कूल शिक्षा विभाग
8.	उप संचालक (योजना)	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-13	स्कूल शिक्षा विभाग
9.	उप संचालक (शारीरिक शिक्षा)	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-13	स्कूल शिक्षा विभाग

10.	उप संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी / प्राचार्य (प्रथम श्रेणी)	57	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-13	स्कूल शिक्षा विभाग
11.	लेखा अधिकारी	25	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
12.	अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल / लाईब्रेरियन ग्रेड-ए	2	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12	स्कूल शिक्षा विभाग
13.	सहायक संचालक (विधि)	1	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12	प्रतिनियुक्ति / संविदा
14.	सहायक संचालक (अधीक्षक संवर्ग)	1	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12	स्कूल शिक्षा विभाग
15.	सहायक संचालक (योजना)	23	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12	स्कूल शिक्षा विभाग
16.	सहायक संचालक / प्राचार्य (शारीरिक शिक्षा)	5	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12	स्कूल शिक्षा विभाग
17.	प्राचार्य / विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी / सहायक संचालक (प्रशासन)	4673	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-12	स्कूल शिक्षा विभाग
18.	जिला ग्रंथपाल / लाईब्रेरियन ग्रेड-बी	12	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-10	स्कूल शिक्षा विभाग
19.	तकनीकी सहायक	2	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स	स्कूल शिक्षा

				लेवल-09	विभाग
20.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	29	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-09	स्कूल शिक्षा विभाग
21.	व्याख्याता (विधि प्रकोष्ठ)	4	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-09	स्कूल शिक्षा विभाग
22.	व्याख्याता	46013	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-09	संचालक
23.	व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा) / सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी / कोच	40	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-09	संचालक
24.	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	268	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-09	संचालक
25.	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	12449	द्वितीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-09	संयुक्त संचालक
26.	छात्रावास अधीक्षक (क्रीड़ा परिसर)	1	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-09	संयुक्त संचालक
27.	पीटीआई शिक्षक / सहायक कोच	2435	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-08	संयुक्त संचालक
28.	सहायक ग्रंथपाल (जिला ग्रंथालय)	27	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-07	संयुक्त संचालक
29.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)	578	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-05	संयुक्त संचालक
30.	ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान)	1857	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-04	संयुक्त संचालक

31.	कृषि शिक्षक	89	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-08	संयुक्त संचालक
32.	तबला शिक्षक	19	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-08	संयुक्त संचालक
33.	संगीत शिक्षक	21	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-08	संयुक्त संचालक
34.	शिक्षक	55096	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-08	संयुक्त संचालक
35.	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	31363	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-08	जिला शिक्षा अधिकारी
36.	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	8927	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-06	जिला शिक्षा अधिकारी
37.	सहायक शिक्षक	87669	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-06	जिला शिक्षा अधिकारी

२०

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	पदों की कुल संख्या		भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1)(ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिये)	
		ई	टी				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आयुक्त	1		—	—	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा (अधिसमय वेतनमान)।
2.	संचालक(विभागीय)	1		—	100%	—	—
3.	वित्त नियंत्रक	1		—	—	100%	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
4.	अपर संचालक	1		—	100%	—	—
5.	राज्य मुख्य ग्रंथपाल	1		—	100%	—	—
6.	संयुक्त संचालक	8		—	100%	—	—
7.	अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल	1		—	100%	—	—
8.	उप संचालक (योजना)	1		—	100%	—	—
9.	उप संचालक (शारीरिक शिक्षा)	1		—	100%	—	—
10.	उप संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी/ प्राचार्य	57		25%	75%	—	प्राचार्य (ई-संवर्ग, टी-संवर्ग, ई (एल.बी.)-संवर्ग एवं टी (एल.बी.)-संवर्ग), सहायक

	(प्रथम श्रेणी)					संचालक तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की एकीकृत वरिष्ठता सूची से पदोन्नति के पद भरे जायेंगे।
11.	लेखा अधिकारी	25	—	—	100%	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
12.	अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल / लाइब्रेरियन ग्रेड-ए	2	—	100%	—	—
13.	सहायक संचालक (विधि)	1	—	—	100%	प्रतिनियुक्ति / संविदा द्वारा।
14.	सहायक संचालक (अधीक्षक संवर्ग)	1	—	100%	—	—
15.	सहायक संचालक (योजना)	23	—	100%	—	—
16.	सहायक संचालक / प्राचार्य (शारीरिक शिक्षा)	5	—	100%	—	—
17.	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / सहायक संचालक (प्रशासन)	185	—	25%	75%	(1) 25% पदों को सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे टीप:- फीडिंग कैंडर में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभवी वरिष्ठ प्राचार्य को पदस्थ किये जायेंगे।

							(2) 75% पदों को कन से कम 5 वर्ष के अनुभव रखने वाले प्राचार्य से भरे जायेंगे।
18.	प्राचार्य	2591	1898	10%	90%	—	<p>प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में उद्भूत रिक्तियों का बंटवारा निम्नानुसार किया जायेगा;</p> <p>(1) 10% पदों को शासकीय शालाओं में कार्यरत व्याख्याता/पंचायत में कार्यरत व्याख्याता/नगरीय निकाय में कार्यरत व्याख्याता की सीमित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।</p> <p>(2) 65% पदों को व्याख्याताओं की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसमें 70% पद ई-संवर्ग के व्याख्याताओं तथा 30% पद ई (एल.बी.) संवर्ग के व्याख्याताओं के लिये होंगे। यदि ई-संवर्ग में फीडिंग कैंडर में पात्र अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई (एल. बी.) संवर्ग की</p>

पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा इसी प्रकार ई (एल.बी.) संवर्ग में फीडिंग कैडर में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई संवर्ग की पदोन्नति से भरे जायेंगे।

(3) 25% पदों को प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (प्रशिक्षित, स्नातकोत्तर) की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसमें 70% पदों को ई-संवर्ग के प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (प्रशिक्षित, स्नातकोत्तर) से भरे जायेंगे तथा 30% पदों को ई (एल.बी.) संवर्ग से भरे जायेंगे। यदि ई संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा इसी प्रकार ई (एल.बी.) संवर्ग में फीडिंग कैडर में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई संवर्ग

							की पदोन्नति से भरे जायेंगे। टीप-बिन्दु (1), (2) एवं (3) में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही टी/टी (एल.बी.) संवर्ग के पदों को भरे जायेंगे।
19.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	29		100%	—	—	—
20.	व्याख्याता (विधि प्रकोष्ठ)	4		—	—	100%	प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा।
21.	जिला ग्रंथपाल/ लाईब्रेरियन ग्रेड-बी	12		—	100%	—	सहायक ग्रंथपाल की पदोन्नति द्वारा।
22.	व्याख्याता	27363	18650	50%	50%	—	प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में उद्भूत रिक्तियों में से 50% सीधी भर्ती हेतु रखे जायेंगे तथा शेष पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसमें से 50% ई-संवर्ग की पदोन्नति से एवं 50% ई (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति से भरे जायेंगे। यदि ई संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा यही प्रक्रिया टी/टी (एल.बी.) संवर्ग के लिये अपनायी जायेगी। यह पदोन्नति सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर होगी।

23.	व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा) / सहायक जिला क्रीडा अधिकारी / कोच	40	—	—	100%	—	पीटीआई (व्यायाम) शिक्षक की पदोन्नति द्वारा।
24.	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	268	—	100%	—	—	—
25.	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	6365	6084	—	100%	—	प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में उद्भूत रिक्तियों में से 50% ई-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं 50% ई (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति से भरे जायेंगे। यदि ई संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा यही प्रक्रिया टी/टी (एल.बी.) संवर्ग के लिये अपनायी जायेगी।
26.	पीटीआई (व्यायाम) शिक्षक / सहायक कोच	1513	922	50%	50%	—	50% पदोन्नति के पदों में से 50% पद डी.पी.एड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों (ई संवर्ग) की पदोन्नति से भरे जायेंगे एवं 50% पद बी.पी.एड. प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों (ई संवर्ग) की पदोन्नति से भरे जायेंगे। यदि ई संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध

24

							नहीं हैं तो पदों को ई (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा यही प्रक्रिया टी/टी (एल.बी.) संवर्ग के लिये अपनायी जायेगी।
27.	सहायक ग्रंथपाल (जिला ग्रंथालय)	27	—	—	100%	—	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) की पदोन्नति द्वारा।
28.	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) (उच्चतर माध्यमिक शाला)	308	270	—	100%	—	—
29.	ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान)	1205	652	100%	—	—	—
30.	कृषि शिक्षक	21	68	100%	—	—	—
31.	तबला शिक्षक	14	5	100%	—	—	—
32.	संगीत शिक्षक	15	6	100%	—	—	—
33.	शिक्षक	29,735	25,631	50%	50%	—	यदि ई संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और इसी तरह यदि टी संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को टी (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। यह पदोन्नति/सीधी भर्ती, सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर होगी।

34.	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	14,851	16,512	—	100%	—	यदि ई संवर्ग में फीडिंग कैंडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को ई (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और इसी तरह यदि टी संवर्ग में फीडिंग कैंडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को टी (एल.बी.) संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
35.	सहायक शिक्षक (विज्ञान/ प्रयोगशाला)	5,616	3,311	100%	—	—	—
36.	सहायक शिक्षक	50,919	36,750	100%	—	—	विषयवार सीधी भर्ती की जायेगी।
37.	छात्रावास अधीक्षक (क्रीडा परिसर)	1	—	—	—	100%	सहायक जिला कीड़ा अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा।

२९

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता	चयन समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक शिक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट-एक (एक) के अनुसार	(1) जिला शिक्षा अधिकारी - अध्यक्ष. (2) प्राचार्य, डाईट - सदस्य. (3) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी - सदस्य. (4) सहायक संचालक /समकक्ष - सदस्य सचिव. (5) प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -सदस्य.	-
2.	सहायक शिक्षक (विज्ञान/प्रयोगशाला)	21 वर्ष	35 वर्ष	जीव विज्ञान/गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण	(1) जिला शिक्षा अधिकारी - अध्यक्ष. (2) प्राचार्य, डाईट - सदस्य. (3) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी - सदस्य. (4) सहायक संचालक /समकक्ष - सदस्य सचिव. (5) प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -सदस्य.	-
3.	शिक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट-एक (दो) के अनुसार	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) - अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य. (3) प्राचार्य, डाईट - सदस्य. (4) उप संचालक (संभागीय कार्यालय)	-

					<p>— सदस्य सचिव.</p> <p>(5) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी —सदस्य.</p>	
4.	ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान)	21 वर्ष	35 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय योजना का प्रमाणपत्र	<p>(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) — अध्यक्ष.</p> <p>(2) जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य.</p> <p>(3) प्राचार्य, डाईट — सदस्य.</p> <p>(4) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) — सदस्य सचिव.</p> <p>(5) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी —सदस्य.</p>	—
5.	पीटीआई (व्यायाम) शिक्षक / सहायक कोच	21 वर्ष	35 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी. पी.एड. अथवा बी.पी.एड. सहित स्नातक	<p>(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) — अध्यक्ष.</p> <p>(2) जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य.</p> <p>(3) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) — सदस्य सचिव.</p> <p>(4) सहायक संचालक (क्रीड़ा) —सदस्य.</p>	—
6.	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	स्नातकोत्तर एवं बी.एड.	<p>(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित सदस्य — अध्यक्ष.</p> <p>(2) संचालक, लोक शिक्षण — सदस्य.</p> <p>(3) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा — सदस्य.</p> <p>(4) उप संचालक, लोक शिक्षण —सदस्य.</p>	—
7.	व्याख्याता	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट-एक (तीन) के अनुसार	संचालक, लोक शिक्षण द्वारा विहित समिति	व्याख्याता के पद विषयवार

						होने।
8.	प्राचार्य	आयु का बंधन नहीं		(1) द्वितीय श्रेणी सहित स्नातकोत्तर एवं बी.एड (2) न्यूनतम 05 वर्ष के सेवा अनुभव के साथ राज्य शासन की संस्थाओं में व्याख्याता/ व्याख्याता, (पंचायत)/ व्याख्याता (नगरीय निकाय) के पद पर कार्यरत हो	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित सदस्य - अध्यक्ष. (2) संचालक, लोक शिक्षण - सदस्य. (3) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा - सदस्य. (4) उप संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य.	विभागीय सीमित परीक्षा
9.	कृषि शिक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट-एक (दो) के अनुसार	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) - अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य. (3) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) - सदस्य सचिव. (4) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी -सदस्य.	-
10.	तबला शिक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट-एक (दो) के अनुसार	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) - अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य. (3) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) - सदस्य सचिव. (4) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी -सदस्य.	-
11.	संगीत शिक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	परिशिष्ट-एक (दो) के अनुसार	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) - अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य.	-

					(3) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) — सदस्य सचिव. (4) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी —सदस्य.	
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	गणित/ सांख्यिकी/वाणिज्य/ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि	—	—
13.	उप संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी/ प्राचार्य (प्रथम श्रेणी)	आयु बंधन नहीं		(1) स्नातकोत्तर (2) बी.एड (3) 10 वर्ष का शासकीय शालाओं में प्राचार्य पद का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यो का अनुभव	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित अन्य सदस्य — अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग — सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण — सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा —सदस्य.	विभागीय सीमित परीक्षा

टीप:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.ए.क्रमांक-4972/2010 में पारित निर्णय के अनुपालन में, अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 8 एवं 13 में उल्लिखित सीधी भर्ती करने हेतु, अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा, तथापि आदेश जारी होने की तारीख को विहित परीवीक्षा अवधि के बराबर, आवेदक की आयु सेवानिवृत्ति के लिये, शेष होना आवश्यक है।

32

अनुसूची-चार
(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद हेतु पात्र होने के लिये न्यूनतम अनुभव की अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अपर संचालक	03 वर्ष	संचालक (विभागीय)	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य—अध्यक्ष. (2) शासन का वरिष्ठ सचिव—सदस्य. (3) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग—सदस्य. (4) उप सचिव/संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा—सदस्य सचिव.
2.	संयुक्त संचालक	03 वर्ष	अपर संचालक	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य—अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग—सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण—सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा—सदस्य सचिव.
3.	अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल	05 वर्ष	राज्य मुख्य ग्रंथपाल	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य—अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग—सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण—सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा—सदस्य सचिव.
4.	उप संचालक (प्रशासन)/ जिला शिक्षा अधिकारी/ प्राचार्य (प्रथम श्रेणी)	05 वर्ष	संयुक्त संचालक	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य—अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग—सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण—सदस्य.

				(4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा- सदस्य सचिव.
5	प्राचार्य/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/सहायक संचालक (प्रशासन)	05 वर्ष	उप संचालक (प्रशासन)/ जिला शिक्षा अधिकारी/ प्राचार्य (प्रथम श्रेणी)	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य -अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग -सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा- सदस्य सचिव.
6	सहायक संचालक (योजना)	05 वर्ष	उप संचालक (योजना)	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य -अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग -सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा- सदस्य सचिव.
7	अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल/लाइब्रेरियन ग्रेड-ए	05 वर्ष	अतिरिक्त मुख्य ग्रंथपाल	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य -अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग -सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा- सदस्य सचिव.
8	सहायक संचालक/प्राचार्य (शारीरिक शिक्षा)	05 वर्ष	उप संचालक (शारीरिक शिक्षा)	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य - अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग -सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा- सदस्य सचिव.

8.	व्याख्याता/प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर)	05 वर्ष	प्राचार्य	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य —अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग —सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण —सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा— सदस्य सचिव.
9.	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	05 वर्ष	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/सहायक संचालक (प्रशासन)	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य —अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग —सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण —सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा— सदस्य सचिव.
10.	व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	05 वर्ष	सहायक संचालक /प्राचार्य (शारीरिक शिक्षा)	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य —अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग —सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण —सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा— सदस्य सचिव.
11.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	05 वर्ष	सहायक संचालक (योजना)	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य —अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग —सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण —सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा— सदस्य सचिव.

12.	जिला ग्रन्थपाल/ लाइब्रेरियन ग्रेड-बी	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर एवं 05 वर्ष	अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रन्थपाल/ लाइब्रेरियन ग्रेड-ए	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य —अध्यक्ष. (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग —सदस्य. (3) संचालक, लोक शिक्षण —सदस्य. (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा— सदस्य सचिव.
13.	सहायक ग्रन्थपाल (जिला ग्रन्थालय)	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर एवं 05 वर्ष	जिला ग्रन्थपाल/ लाइब्रेरियन ग्रेड-बी	(1) संचालक, लोक शिक्षण/ उसके द्वारा नामांकित अधिकारी —अध्यक्ष. (2) संयुक्त संचालक/उप संचालक —सदस्य. (3) सहायक संचालक (स्थापना) —सदस्य सचिव.
14.	शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर)	05 वर्ष	व्याख्याता	(1) संचालक, लोक शिक्षण/ उसके द्वारा नामांकित अधिकारी —अध्यक्ष. (2) संयुक्त संचालक/ उप संचालक —सदस्य. (3) सहायक संचालक (स्थापना) —सदस्य सचिव.
15.	शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातक)	05 वर्ष	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) —अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी —सदस्य. (3) प्राचार्य, डाईट —सदस्य. (4) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) — सदस्य सचिव.
16.	पीटीआई (व्यायाम) शिक्षक (बी.पी. एड)/सहायक कोच	05 वर्ष	व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच	(1) संचालक, लोक शिक्षण/ उसके द्वारा नामांकित अधिकारी —अध्यक्ष. (2) संयुक्त संचालक/उप संचालक —सदस्य. (3) सहायक संचालक (क्रीडा) —सदस्य सचिव.

17.	सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक)	05 वर्ष	शिक्षक	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) —अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी —सदस्य. (3) प्राचार्य, डाईट —सदस्य. (4) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) — सदस्य सचिव.
18.	सहायक शिक्षक (डी.पी. एड./बी.पी.एड)	05 वर्ष	पीटीआई (व्यायाम) शिक्षक/ सहायक कोच	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) —अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी —सदस्य. (3) प्राचार्य, डाईट —सदस्य. (4) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) — सदस्य सचिव.
19.	सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित)	05 वर्ष	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	(1) जिला शिक्षा अधिकारी —अध्यक्ष. (2) सहायक संचालक/समकक्ष —सदस्य सचिव. (3) प्राचार्य, डाईट —सदस्य. (4) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी — सदस्य.
20.	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान)	05 वर्ष	सहायक ग्रंथपाल (जिला ग्रंथालय)	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) —अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी —सदस्य. (3) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) —सदस्य सचिव.
21.	ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान)	05 वर्ष	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान)	(1) संयुक्त संचालक (संभागीय कार्यालय) —अध्यक्ष. (2) जिला शिक्षा अधिकारी —सदस्य. (3) उप संचालक (संभागीय कार्यालय) —सदस्य सचिव.

परिशिष्ट—एक
(न्यूनतम अर्हताये)

(एक) सहायक शिक्षक

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षाशास्त्र) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बी.एड अर्हता (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक) भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में पात्र होंगे परन्तु यह कि उसे नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षाशास्त्र में 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा।

तथा

५०

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

(दो) शिक्षक

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड.(विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक के विषय निम्नानुसार होंगे—

स. क्र.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1.	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
2.	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
3.	सामाजिक विज्ञान	इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा।
4.	जीवविज्ञान	रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भू-गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर हो।
5.	संस्कृत	संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. (क्लासिक्स) अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि।
6.	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय— भौतिकी/रसायन/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान/भू-गर्भ विज्ञान।
7.	ऊर्दू	बी.ए.(उर्दू)/उर्दू विषय के साथ स्नातक/जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीबे-ए-कामील (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)
8.	कृषि	कृषि
9.	संगीत	संगीत
10.	तबला	तबला

टीप:- सरल क्रमांक 8 से 10 में उल्लिखित विषय के शिक्षक हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नियुक्त होंगे, उनके लिये बी.एड./डी.एड. एवं टी.ई.टी. की अर्हता आवश्यक नहीं होगी।

(तीन) व्याख्याता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर/समकक्ष एवं बी.एड.

स.क्र.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1.	हिन्दी	हिन्दी
2.	अंग्रेजी	अंग्रेजी
3.	संस्कृत	संस्कृत/क्लासिक्स/आचार्य
4.	भौतिकी	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी
5.	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री
6.	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र/एप्लाइड अर्थशास्त्र/बिजनेस अर्थशास्त्र
7.	राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन
8.	भूगोल	भूगोल
9.	इतिहास	इतिहास/प्राचीन भारतीय इतिहास
10.	जीव विज्ञान	वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र/लाइफ साइन्स/जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)/सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी)/जैव प्रोद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी)/आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी)/पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर में प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो।

11.	वाणिज्य	एकाउन्टेसी सहित वाणिज्य / कास्ट एकाउंटिंग / फाइनैन्सियल एकाउन्टेसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो।
12.	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
13.	कृषि	कृषि
14.	उर्दू	एम.ए.उर्दू / जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-फाज़िल (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)
15.	गणित	गणित / एप्लाइड गणित

अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2019

क्रमांक एफ 12-17/2018/20-दो.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 12-17/2018/20-दो, दिनांक 05-03-2019 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चंद्राकर, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 5th March 2019

NOTIFICATION

F.No. 12-17/2018/20-2.- In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh School Education Services (Educational and Administrative Cadre), namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh School Education Services (Educational and Administrative Cadre) Recruitment and Promotion Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) **"Administrative Officer"** means an officer in the Department, Assistant Block Education Officer, Principal and other equivalent officer upto Director level;
 - (b) **"Appointing Authority"** in respect of the service means Government of Chhattisgarh and includes the authorities specified in column (6) of Schedule-I appended to these rules;
 - (c) **"Commission"** means the Chhattisgarh Public Service Commission;
 - (d) **"Committee"** means Promotion or Selection Committee as specified in Schedule-III and IV;
 - (e) **"Commissioner"** means Commissioner, Chhattisgarh Public Instruction;
 - (f) **"Director"** means Director, Chhattisgarh Public Instruction;
 - (g) **"Examination"** means competitive examination held for recruitment under rule 11 of these rules;
 - (h) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;
 - (i) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;
 - (j) **"Lecturer (Panchayat)/Lecturer (Urban Body), Teacher (Panchayat) /Teacher (Urban Body) and Assistant Teacher (Panchayat)/ Assistant Teacher (Urban Body)"** means the persons appointed for teaching in schools of the department and under the administrative control of District Panchayat, Janpad Panchayat, Municipal Corporation, Municipalities or Nagar Panchayat;
 - (k) **"Limited Departmental Examination"** means examination conducted under rule 11 of these rules in which persons employed as Teacher under the Department and teachers under the Panchayat and Urban bodies shall only be eligible;
 - (l) **"Local Residents"** means local resident of the State of Chhattisgarh as per the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time;

- (m) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the Government as amended from time to time vide Notification No. F-8-5- XXV- 4-84, dated 26th December, 1984;
- (n) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;
- (o) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
- (p) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
- (q) **"Services"** means the Chhattisgarh School Education Services (Educational and Administrative Cadre);
- (r) **"State"** means the State of Chhattisgarh;
- (s) **"Teacher"** means the teacher of E-Cadre, T-Cadre, E (L.B) and T(L.B), appointed for the purpose of teaching in Government Schools of the State;
- (t) **"Teachers Eligibility Test"** means the teachers eligibility test conducted for the post filled up by direct recruitment of educational cadre.

3. Scope and application.- These rules shall apply to every member of the service without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

4. Constitution of the service.- The service shall consist of the following persons, namely:-

- (a) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity, the posts specified in Schedule I;
- (b) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (c) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
- (d) Persons, who were recruited by the provisions of Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012 under the notification of Panchyat and Rural Development Department, dated 17th August, 2012 and recruited by the provisions of Chhattisgarh Shikshak (Nagriya Nikay) Samvarg (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013 under the notification of Urban Administration and Development Department, dated 08th March, 2013 and have completed eight years of service and those have not given the option of continuing in the employer department and have been included in the service through absorption.

5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scales of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scales attached thereto in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely : -

- (a) By direct recruitment through selection (competitive examination /interview) and Limited Departmental Examination;
- (b) By promotion of members of the service;
- (c) By transfer/deputation of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf;
- (d) By absorption of person/persons who hold in such services and serve on any equivalent salary/post in any Government service.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b), (c) or (d) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule- II of the number of duty posts, as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Commission/Government

(4) At the time of recruitment to the service the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions issued from time to time, under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

(5) The newly appointed teachers will be included in E-(LB)/T-(LB) cadre seniority list on direct recruitment to the service.

7. Appointment in the service.- All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Condition of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection/limited departmental examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) **Age** — (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column(4) of the said Schedule on the 1st day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) Person with disabilities shall be exempted to the maximum limit of age as per instructions of General Administration Department;

(e) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more than 38 years of age; -

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the work charged employees, contingency paid employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

Explanation:- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service.

(f) A candidate, who is an "ex-serviceman" shall be allowed to deduct from his age the period of all Defense Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

Explanation:- The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service:-

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time discharged on-

- (a) Completion of short term engagement;
- (b) Fulfilling the conditions of enrollment,
- (3) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);
- (4) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;
- (5) Ex-servicemen discharged on the ground of disability;
- (6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme under Untouchability Eradication Rules 1984;
- (h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of candidates who are recipients of Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadthur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award and National Youth Award;
- (i) The general upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of the Chhattisgarh State Corporations/ Boards;
- (j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case should their age exceed 38 years;

NOTE:—(1) The candidates who are admitted to the examination /selection under the age concession mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (e) of clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case shall these age limit be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of Appointing Authority to appear for the selection.

- (k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above categories for entering in Government service the maximum age must not exceed 45 years;

- (I) Apart from the above in respect of age limit, the directions issued by General Administration Department of the Government from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience — The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule III. For Preliminary education, the prescribed qualification will be applicable as per provisions of Right to Free and Compulsory Education Act, 2009;

(III) Fees- (a) The candidate must pay the fees prescribed by the Commission/Director.

(b) The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government, to the Chairman of Medical Board before medical test.

(9) Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission/Director as a disqualification for selection.

(2) Any male candidate, who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) A candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default, which can hinder the fulfillment of duty of any service or post, in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under the condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any Candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate, who is convicted for any offence against women, shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then the matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally decided by the court.

(6) Any candidate, who is married before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) The provisions given in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 and instructions issued by the Government from time to time will be applicable for the disqualification for the candidates;

- 10. Commission/Director's decision about the eligibility of the candidates shall be final.**- (1) The decision of the Commission/Director as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and a candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission/Selection Committee for examination/interview, shall not be allowed to appear in the examination or interview.
- (2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government/Director, if it comes to the notice of the Commission/Selection Committee that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission/Director.
- 11. Direct recruitment by selection (competitive examination/interview) and limited departmental examination.**- (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government/Director may, in consultation with the Commission/Government from time to time, determine.
- (2) The examinations for the post of Deputy Director, Principal, and Assistant Block Education Officer shall be conducted by Public Service Commission and examinations for other posts shall be conducted by the Director, Public Instruction, as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government/Director respectively, in consultation with the Commission/Government respectively, from time to time.
- (3) Selection of the candidates for the service shall be made in such manner as the Commission/Director may determine.
- (4) At the time of recruitment in service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under the said Act by the General Administration Department of the Government from time to time, shall be applicable.
- (5) 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for the Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment wise. Subject to provision of rules, weightage shall be given to widowed or divorced female candidates.
- (6) In addition to the above, posts for persons with disabilities/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the provisions of the Acts/Rules/Orders/Instructions issued by the Government from time to time. The reservation of posts shall be 7 percent as per the applicable percentage in the State under the provisions of the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016).
- (7) At the time of filling the vacancies of reserved candidates, such candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to the above, candidates who are women/persons with disability/ex-servicemen and who are selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) who are declared eligible for appointment by the Commission/Director keeping in view their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7), as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and the Government is of opinion that there is a possibility that candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) with requisite experience may not be available in sufficient number, the Government may in consultation with the Commission/Director relax the condition of experience for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of candidates recommended by the Commission/Director.- (1) The Commission/Director shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission/Director for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, persons with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment in the post shall be six months from the date of sending the list to the Government. Where the Appointing Authority is Director, Public Instruction, the validity of select list shall be six months from the date of issue of such select list.

(2) The List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's/Directorate's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission/Selection Committee for filling the vacant posts. For such categories a waiting list shall also be prepared in which a minimum of one name and maximum names up to 25% of the vacant posts shall also be included. The validity of the waiting list shall be for nine months from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, the decimal number shall be extended to the next integral number.

(4) The Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule

(1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of these Rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) If any candidate whose name is included in the selection list does not join duty within the valid period or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the names of candidates from the waiting list can be recommended/approved by the Commission/Director for appointment.

(8) If a request is received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions shall recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

13. Probation.- (1) (a) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(b) If the work is found unsatisfactory then the period of probation can be extended by the Government for a period up to a maximum of one year.

(c) During the period of probation or extended probation period or at the end of probation period if the Government is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer then the services of such probationer may be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of two years.

14. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub- rule, for the purpose of constitution of the committee, provisions of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 (one) year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(4) Certification by the Appointing Authority—The Appointing Authority shall endorse on the promotion order, to be issued by him, a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh

Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules framed by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

- 15. Conditions regarding eligibility for promotion.-** (1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year have completed such number of years of service, (whether officiating or substantive), on the posts from which promotion is to be made, as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility of promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority-cum-fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant posts due to retirement/promotion during one year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit-cum-seniority basis, the area of consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If sufficient number of Government servants in Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion then the area of consideration may be extended up to 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved posts may be made from the persons belonging to reserved category for the above mentioned area of consideration. The Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in the said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion in the course of one year.

(3) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), two public servant or upto 25% of number of public servant included in the select list, which ever is more, shall consider the name of public servant with requisite number for each cadre for the purpose of inclusion of his name.

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the orders issued by the General Administration Department of Government from time to time shall be applicable for promotion.

- 16. Preparation of list of suitable candidates.-** (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in Rule 15 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The

list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list shall be prepared, which shall consist of a minimum of one and a maximum of 25 % of the posts available in each category, to fill the unexpected vacancies arising during the said period.

(2) The names of the persons included in the selection list shall be kept in the order of seniority as specified in column (2) of Schedule-IV. The list of suitable officers shall be prepared as per the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with rule 16 shall be sent to the Commission by the Government and Committee to the Appointing Authority along with the following documents:-

- (i) the records of all persons included in the list.
- (ii) the Committee's opinion on the basis of records.
- (iii) the remarks of the Government on the recommendations of the Committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the Promotion Committee and if all members of the Committee including Chairman have signed on the proceedings of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select list.- (1) The final list of candidates approved by Committee /Government shall be the selection list for promotion to the posts mentioned in column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

In such cases where the School Education Department, Government of Chhattisgarh, is the Appointing Authority, the Commission shall consider the list prepared by the Committee along with the documents received from the Government. If in the opinion of the Commission there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, the Government shall approve the list finally along with such modifications, if any, that may be in its opinion, just and proper.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be the approved select list for promotion of the members of the services as mentioned in the column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) In cases where the Appointing Authority is School Education Department, Government of Chhattisgarh, select list of such posts shall be approved by

the Director, Public Instruction and the said select list shall be final list for promotion.

(5) The validity of the select list shall be 31st December of the calendar year of the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission/Director, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the service from the select list.- (1) The appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission/Committee before appointment of an officer whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

(3) A Person whose name is included in the selection list will not be promoted if his departmental inquiry is going on or a prosecution is in place until the investigation or prosecution is completed.

20. Interpretation.- If any question arises in relation to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply, in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than provided in these rules.

22. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of such matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
POSHAN CHANDRAKAR, Joint Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

S.No.	Name of the post included in the service	Total number of duty posts	Classification	Pay Matrix	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner	1	Class-I	Pay Matrix Level-16	State Government
2.	Director, Departmental	1	Class-I	Pay Matrix Level-16	School Education Department
3.	Finance Controller	1	Class-I	Pay Matrix Level-16	By deputation from Finance Department
4.	Additional Director	1	Class-I	Pay Matrix Level-15	School Education Department
5.	State Chief Librarian	1	Class-I	Pay Matrix Level-14	School Education Department
6.	Joint Director	8	Class-I	Pay Matrix Level-14	School Education Department
7.	Additional Chief Librarian	1	Class-I	Pay Matrix Level-13	School Education Department
8.	Deputy Director (Plan)	1	Class-I	Pay Matrix Level-13	School Education Department
9.	Deputy Director (Physical Education)	1	Class-I	Pay Matrix level-13	School Education Department
10.	Deputy Director District Education/ Officer/Principal (Class-I)	57	Class-I	Pay Matrix Level-13	School Education Department
11.	Accounts Officer	25	Class-II	Pay Matrix Level-12	Deputation from Finance Department
12.	Additional Assistant Chief Librarian/ Librarian Grade-A	2	Class-II	Pay Matrix Level-12	School Education Department
13.	Assistant Director (Legal)	1	Class-II	Pay Matrix Level-12	Deputation/Contract
14.	Assistant Director (Superintendent Cadre)	1	Class-II	Pay Matrix Level-12	School Education Department
15.	Assistant Director (Plan)	23	Class-II	Pay Matrix Level-12	School Education Department

16.	Assistant Director /Principal (Physical Education)	5	Class-II	Pay Matrix Level-12	School Education Department
17.	Principal/Block Education Officer/ Assistant Director (Administration)	4673	Class-II	Pay Matrix Level-12	School Education Department
18.	District Librarian/ Librarian Grade-B	12	Class-II	Pay Matrix Level-10	School Education Department
19.	Technical Assistant	2	Class-II	Pay Matrix Level-09	School Education Department
20.	Assistant Statistical Officer	29	Class-III	Pay Matrix Level-09	School Education Department
21.	Lecturer (Legal Cell)	4	Class-II	Pay Matrix Level-09	School Education Department
22.	Lecturer	46013	Class-II	Pay Matrix Level-09	Director
23.	Lecturer (Physical Education)/Assistant District Sports Officer/Coach	40	Class-II	Pay Matrix Level-09	Director
24.	Assistant Block Education Officer	268	Class-II	Pay Matrix Level-09	Director
25.	Head Master (Middle School)	12449	Class-II	Pay Matrix Level-09	Joint Director
26.	Hostel Superintendent (Sports Campus)	1	Class-III	Pay Matrix Level-09	Joint Director
27.	PTI Teacher/ Assistant Coach	2435	Class-III	Pay Matrix Level-08	Joint Director
28.	Assistant Librarian (District Library)	27	Class-III	Pay Matrix Level-07	Joint Director
29.	Librarian Higher Pay Scale (Higher Secondary School)	578	Class-III	Pay Matrix Level-05	Joint Director
30.	Librarian (Lower Pay Scale)	1857	Class-III	Pay Matrix Level-04	Joint Director
31.	Agriculture Teacher	89	Class-III	Pay Matrix Level-08	Joint Director
32.	Tabla Teacher	19	Class-III	Pay Matrix Level-08	Joint Director
33.	Music Teacher	21	Class-III	Pay Matrix Level-08	Joint Director

34.	Teacher	55096	Class-III	Pay Matrix Level-08	Joint Director
35.	Head Master (Primary School)	31363	Class-III	Pay Matrix Level-08	District Education Officer
36.	Assistant Teacher Science (Laboratory)	8927	Class-III	Pay Matrix Level-06	District Education Officer
37.	Assistant Teacher	87669	Class-III	Pay Matrix Level-06	District Education Officer

SCHEDULE-II

(See rule-6)

S.No.	Name of Service/Post	Total number of duty posts		Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remarks
				By direct recruitment [See rule 6 (1)(a)]	By promotion [See rule 6 (1)(b)]	By transfer/ deputation of persons from other services [See rule 6 (1)(c)]	
		E	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Commissioner	1		-	-	100%	Indian Administrative Services (Super-time-scale)
2.	Director (Departmental)	1		-	100%	-	-
3.	Finance Controller	1		-	-	100%	By deputation from State Finance Service
4.	Additional Director	1		-	100%	-	-
5.	State Chief Librarian	1		-	100%	-	-
6.	Joint Director	8		-	100%	-	-
7.	Additional Chief Librarian	1		-	100%	-	-
8.	Deputy Director (Plan)	1		-	100%	-	-
9.	Deputy Director (Physical Education)	1		-	100%	-	-
10.	Deputy Director/ District Education Officer/Principal (Class-I)	57		25%	75%	-	The promotion posts shall be filled from the combined gradation list of Principal (E-cadre, T-cadre, E (LB)-cadre and T (LB)-cadre), Assistant Director and Block Education Officer.
11.	Accounts Officer	25		-	-	100%	By deputation from State Finance Service
12.	Additional Assistant Chief Librarian /Librarian Grade-A	2		-	100%	-	-
13.	Assistant Director (Legal)	1		-	-	100%	By deputation/ contract
14.	Assistant Director (Superintendent Cadre)	1		-	100%	-	-
15.	Assistant Director (Plan)	23		-	100%	-	-
16.	Assistant Director /Principal (Physical Education)	5		-	100%	-	-
17.	Block Education Officer / Assistant Director (Administration)	185		-	25%	75%	(1) 25% posts shall be filled by promotion of Assistant Block Education Officer. Note:- in case of

							absence of eligible candidates in the feeding cadre, senior Principal of minimum 5 years experience shall be appointed (2) 75% posts shall be filled by Principal with atleast 5 years experience.
18.	Principal	2591	1898	10%	90%	-	The emergent vacancies as on 1 st January every year shall be bifurcated as follows; (1) 10% posts shall be filled by direct recruitment through limited examination of the lecturers working in Government schools/lecturers working with panchayat/lecturer working in urban body. (2) 65% posts shall be filled by promotion of the lecturers, in which 70% posts shall be for lecturers of E-cadre and 30% posts for lecturers E (L.B.) cadre. If sufficient number of eligible candidates are not available in feeding cadre in the E-cadre, the posts shall be filled by promotion of E(LB) cadre and vice-versa.

							<p>(3) 25% of the posts shall be filled by promotion of Head Master Middle School (Trained Post graduate) of which 70% posts shall be filled from Head Master Middle School (Trained Post graduate) of E-cadre and 30% posts shall be filled from E (L.B.) cadre. If sufficient number of eligible candidates are not available in feeding cadre in the E-cadre, the posts shall be filled by promotion of E(L.B.) cadre and vice-versa.</p> <p>Note:- Posts of the T/T (L.B.) cadre shall also be filled as per procedure described in point (1), (2) and (3) above.</p>
19.	Assistant Statistical Officer	29		100%	-	-	-
20.	Lecturer (Legal Cell)	4		-	-	100%	By deputation/contract
21.	District Librarian/ Librarian Grade-B	12		-	100%	-	By promotion of Assistant Librarian
22.	Lecturer	27363	18650	50%	50%	-	Out of the vacancies generated as on 1 st January, every year, 50% shall be kept for direct recruitment and remaining vacancies, shall be filled by promotion out of which 50% shall be filled up by the promotion of E-cadre and 50% with promotion of E (LB)-cadre. If sufficient number of eligible candidates are not available in feeding cadre in the E-cadre, the posts

							shall be filled by promotion of E (L.B.) cadre and the same process shall be adopted for T/T (LB) cadre. This promotion shall be on the subject-wise posts approved in the setup.
23.	Lecturer (Physical Education)/Assistant District Sports Officer/Coach	40	-	-	100%	-	By promotion of P.T.I. Teacher
24.	Assistant Block Education Officer	268	-	100%	-	-	-
25.	Head Master (Middle School)	6365	6084	-	100%	-	Out of the vacancies generated on 1 st January every year, 50% shall be filled by the promotion of E-cadre and 50% shall be filled by promotion of E (L.B.) cadre. If sufficient number of eligible candidates are not available in feeding cadre in the E-cadre, the posts shall be filled by promotion of E (L.B.) cadre and the same process shall be adopted for T/T(LB) cadre.
26.	PTI Teacher/ Assistant Coach	1513	922	50%	50%	-	Out of 50% promotion posts, 50% posts shall be filled by the promotion of D.P.Ed trained Assistant Teacher (E-cadre) and 50% posts shall be filled by the promotion of B.P.Ed trained Assistant Teacher (E-cadre). If any eligible candidate is not available in feeding cadre in the E-cadre, the posts shall be filled by promotions of E (L.B.) cadre and the same process shall be adopted for T/T(LB) cadre.
27.	Assistant Librarian (District Library)	27	-	-	100%	-	By promotion of Librarian (Higher Pay Scale)
28.	Librarian (Higher Pay Scale) (Higher Secondary School)	308	270	-	100%	-	

29.	Librarian (Lower Pay Scale)	1205	652	100%	-	-	-
30.	Agriculture Teacher	21	68	100%	-	-	-
31.	Tabla Teacher	14	5	100%	-	-	-
32.	Music Teacher	15	6	100%	-	-	-
33.	Teacher	29,735	25,631	50%	50%	-	If any eligible candidates are not available in feeding cadre in the E-cadre, the posts shall be filled by promotion of E (L.B.) cadre and similarly If any eligible candidates are not available in feeding cadre in the T-cadre, the posts shall be filled by promotion of T (L.B.) cadre. This promotion/ Direct recruitment shall be on subject-wise posts approved in the setup.
34.	Head Master (Primary School)	14,851	16,512	-	100%	-	If any eligible candidates are not available in feeding cadre in the E-cadre, the posts shall be filled by promotion of E (L.B.) cadre and similarly If any eligible candidates are not available in feeding cadre in the T-cadre, the posts shall be filled by promotion of T (L.B.) cadre.
35.	Assistant Teacher (Science/Laboratory)	5,616	3,311	100%	-	-	-
36.	Assistant Teacher	50,919	36,750	100%	-	-	Direct recruitment shall be subject-wise.
37.	Hostel Superintendent (Sports Campus)	1	-	-	-	100%	By Transfer from Assistant District Sports Officer

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S.No.	Name of Service/ Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Minimum Educational/Technical Qualifications	Name of the Members of Selection Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant Teacher	21 years	35 years	As per Annexure-I(i)	(1) District Education Officer- Chairman (2) Principal, DIET - Member (3) Block Education Officer - Member (4) Assistant Director / Equivalent - Member-Secretary (5) Principal, Government Higher Secondary School - Member	-
2.	Assistant Teacher [Science/ Laboratory]	21 years	35 years	Passed Higher Secondary Examination with Biology / Mathematics Subject	(1) District Education Officer- Chairman (2) Principal, DIET - Member (3) Block Education Officer - Member (4) Assistant Director / Equivalent - Member-Secretary (5) Principal, Government, Higher Secondary School - Member	-
3.	Teacher	21 years	35 years	As per Annexure-I (ii)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Principal, DIET - Member (4) Deputy Director (Divisional Office) - Member-Secretary (5) Block Education Officer - Member	-
4.	Librarian (Lower Pay Scale)	21 years	35 years	Passed Higher Secondary Examination and having Certificate in Library Scheme	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Principal, DIET - Member (4) Deputy Director (Divisional Office) - Member-Secretary (5) Block Education Officer - Member	-

5.	PTI Teacher/ Assistant Coach	21 years	35 years	Passed Higher Secondary Examination and having D.P. Ed. or graduate with B.P.Ed.	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary (4) Assistant Director (Sports) - Member	-
6.	Assistant Block Education Officer	21 years	35 years	Post Graduate and B.Ed.	(1) The Chairman of the Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Director, Public Instruction - Member (3) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member (4) Deputy Director, Public Instruction - Member	-
7.	Lecturer	21 years	35 years	As per Annexure -I (iii)	Prescribed committee by Director, Public Education	Post of Lecturer will be subject wise
8.	Principal	No age restriction		(1) Post Graduate with second division and B.Ed. (2) Working on the post of Lecturer/ Lecturer, (Panchayat)/ Lecturer (Urban Body), in the institutions of the State Government, together with a minimum of 05 years of service experience.	(1) The Chairman of the Public Service Commission, or member nominated by him - Chairman (2) Director, Public Instruction - Member (3) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member (4) Deputy Director, Public Instruction - Member	Departmental Limited Examination
9.	Agriculture Teacher	21 years	35 years	As per Annexure -I (ii)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary (4) Block Education Officer - Member	-
10.	Tabla Teacher	21 years	35 years	As per Annexure -I (ii)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Deputy Director (Divisional Office) -	-

					Member Secretary (4) Block Education Officer - Member	
11.	Music Teacher	21 years	35 years	As per Annexure -I (ii)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary (4) Block Education Officer - Member	-
12.	Assistant Statistical Officer	21 years	35 years	Post Graduate degree in- Mathematics / Statistics/Commerce/ Economics	-	-
13.	Deputy Director /District Education Officer/ Principal (Class-I)	No age restriction		(1) Post Graduate (2) B.Ed. (3) Experience of educational and administrative work of Principal for 10 years, in Government School.	(1) Chairman, Public Service Commission or other members nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary School Education - Member-Secretary	Departmental Limited Examination

Note:- In pursuance of the decision passed in the S.L.A.-No.-4972/2010 by the Honorable Supreme Court, the maximum age limit for fulfillment of the direct recruitment posts mentioned in the Serial Number 8 and 13 of Schedule-III, shall not be binding, however the age of the applicant for retirement on the date of issue of the order is required to be remain, equal to the prescribed probation period.

SCHEDULE-IV

(See rule 14 and 15)

S.No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Minimum Experience period for eligibility for the post	Name of service or post on which promotion is to be done	Member of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Additional Director	03 years	Director (Departmental)	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Senior Secretary of the Government - Member (3) Secretary, School Education Department - Member (4) Deputy Secretary / Joint Secretary, School Education - Member-Secretary
2.	Joint Director	03 years	Additional Director	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary
3.	Additional Chief Librarian	05 years	State Chief Librarian	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Education - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary
4.	Deputy Director (Administration) / District Education Officer / Principal (Class-I)	05 years	Joint Director	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary
5.	Principal/Block Education Officer / Assistant Director (Administration)	05 years	Deputy Director (Administration) / District Education Officer / Principal (Class-I)	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary
6.	Assistant Director (Plan)	05 years	Deputy Director (Plan)	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction -

				Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary
7.	Additional Assistant Chief Librarian/Librarian Grade- A	05 years	Additional Chief Librarian	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary
8.	Assistant Director /Principal (Physical Education)	05 years	Deputy Director (Physical Education)	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary
9.	Lecturer/Head Master (Middle School) (Trained Post Graduate)	05 years Teaching experience	Principal	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member Secretary
10.	Assistant Block Education Officer	05 years	Block Education Officer/Assistant Director (Administration)	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member Secretary
11.	Lecturer (Physical Education) /Assistant District Sports Officers	05 years	Assistant Director / Principal (Physical Education)	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary
12.	Assistant Statistics Officer	05 years	Assistant Director (Plan)	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman (2) Secretary, School Education Department - Member (3) Director, Public Instruction - Member (4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member-Secretary

				(4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member Secretary
13.	Assistant Librarian (District Library)	M.Lib.Sc and 05 years	District Librarian/ Librarian Grade-B	(1) Director, Public Instruction / Officer nominated by him - Chairman (2) Joint Director/ Deputy Director - Member (3) Assistant Director (Establishment) - Member-Secretary
14.	Teacher /Head Master Primary School (trained post graduate)	05 years	Lecturer	(1) Director, Public Instruction / Officer nominated by him - Chairman (2) Joint Director / Deputy Director - Member (3) Assistant Director (Establishment) - Member-Secretary
15.	Teacher /Head Master Primary School (Trained Graduate)	05 years	Head Master (Middle School)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Principal, DIET - Member (4) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary
16.	PTI Teacher (B.P.Ed)/ Assistant Coach	05 years	Lecturer (Physical Education)/ Assistant District Sports Officer/Coach	(1) Director, Public Instruction / Officer nominated by him - Chairman (2) Joint Director / Deputy Director - Member (3) Assistant Director (Sports) - Member Secretary
17.	Assistant Teacher (Trained Graduate)	05 years	Teacher	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Principal, DIET - Member (4) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary
18.	Assistant Teacher (D.P.Ed./B.P.Ed.)	05 years	PTI Teacher/ Assistant Coach	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Principal, DIET - Member (4) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary
19.	Assistant Teacher (Trained)	05 years	Head Master (Primary School)	(1) District Education Officer - Chairman (2) Assistant Director/ Equivalent - Member secretary (3) Principal, DIET - Member (4) Development Block Education Officer - Member
20.	Librarian (Higher Pay Scale)	05 years	Assistant Librarian (District Library)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Deputy Director (Divisional Office) - Member-Secretary
21.	Librarian (Lower Pay Scale)	05 years	Librarian (Higher Pay Scale)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Deputy Director (Divisional Office) - Member-Secretary

				(4) Deputy Secretary / Under Secretary, School Education - Member Secretary
13.	Assistant Librarian (District Library)	M.Lib.Sc and 05 years	District Librarian/ Librarian Grade-B	(1) Director, Public Instruction / Officer nominated by him - Chairman (2) Joint Director/ Deputy Director - Member (3) Assistant Director (Establishment) - Member-Secretary
14.	Teacher /Head Master Primary School (trained post graduate)	05 years	Lecturer	(1) Director, Public Instruction / Officer nominated by him - Chairman (2) Joint Director / Deputy Director - Member (3) Assistant Director (Establishment) - Member-Secretary
15.	Teacher /Head Master Primary School (Trained Graduate)	05 years	Head Master (Middle School)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Principal, DIET - Member (4) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary
16.	PTI Teacher (B.P.Ed)/ Assistant Coach	05 years	Lecturer (Physical Education)/ Assistant District Sports Officer/Coach	(1) Director, Public Instruction / Officer nominated by him - Chairman (2) Joint Director / Deputy Director - Member (3) Assistant Director (Sports) - Member Secretary
17.	Assistant Teacher (Trained Graduate)	05 years	Teacher	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Principal, DIET - Member (4) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary
18.	Assistant Teacher (D.P.Ed./B.P.Ed.)	05 years	PTI Teacher/ Assistant Coach	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Principal, DIET - Member (4) Deputy Director (Divisional Office) - Member Secretary
19.	Assistant Teacher (Trained)	05 years	Head Master (Primary School)	(1) District Education Officer - Chairman (2) Assistant Director/ Equivalent - Member secretary (3) Principal, DIET - Member (4) Development Block Education Officer - Member
20.	Librarian (Higher Pay Scale)	05 years	Assistant Librarian (District Library)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Deputy Director (Divisional Office). - Member-Secretary
21.	Librarian (Lower Pay Scale)	05 years	Librarian (Higher Pay Scale)	(1) Joint Director (Divisional Office) - Chairman (2) District Education Officer - Member (3) Deputy Director (Divisional Office). - Member-Secretary

ANNEXURE-I**(Minimum Qualification)****(i) Assistant Teacher**

- (a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.EL.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education)

OR

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Graduation with at least 50% marks and B.Ed. qualification (Graduate from the institution recognized from NCTE), shall also be eligible for appointment as teacher for classes 1 to 5, Provided he/she undergoes, after appointment, a NCTE recognized 6 month special programme in Elementary Education.

And

- (b) Passed the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government, in accordance with the guidelines framed by the NCTE for this purpose.

(ii) Teacher

- (a) Graduation and 2 Year Diploma in Elementary Education (by what ever name known)

OR

Graduation with at least 50% marks and 1 Year Bachelor in Education (B.Ed.)

OR

Graduation with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

OR

Higher Secondary or its equivalent with at least 50% marks and 4 years B.A./B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.

OR

Graduation with at least 50% marks and 1 year B.Ed. (Special Education)

And

- (b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

The subjects of the bachelor's degree above will be as follows: -

S.No.	Subject	Subject Group
(1)	(2)	(3)
1.	English	English literature has been a subject at graduation level
2.	Hindi	Hindi literature has been a subject at graduation level
3.	Social Science	One of the subject, history, geography, economics or political science will be compulsory.
4.	Biology	Two subjects from Chemistry, Botany, Zoology, Military Sciences and Geo-physics are at Graduate level.
5.	Sanskrit	Sanskrit literature has been a subject at the graduate level or BA. (Classics) or Master's Degree in Sanskrit
6.	Mathematics	With two of the following subjects, with math. Physics / Chemistry / Electronics / Computer Science / Statistics, Military Science / Groundnut Science.
7.	Urdu	B.A. (Urdu)/Graduate with Urdu subject/Jamia Urdu from Aligarh, Adeeb.A.Kamil (three year course)
8.	Agriculture	Agriculture
9.	Music	Music
10.	Tabla	Tabla

Note: - The teachers of the subject mentioned in serial numbers 8 to 10 shall be appointed in higher secondary schools, for them B.Ed./D.Ed. and TET qualification will not be necessary.

(iii) Lecturer

Postgraduate/equivalent with second class from a recognized University/Institution, in any of the following subjects, and B.Ed.

SN.	Subject	Subject Group
(1)	(2)	(3)
1.	Hindi	Hindi
2.	English	English
3.	Sanskrit	Sanskrit/Classics/Acharya
4.	Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics

5.	Chemistry	Chemistry/Bio chemistry
6.	Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
7.	Political Science	Political Science/Public Administration
8.	Geography	Geography
9.	History	History/Indian ancient history
10.	Biology	Botany / Zoology / Lifescience / Biology / Genetics / Micro Biology / Biotechnology / Molecular Biology / Plant Physiology and Zoology / Botany as one of the subject in graduation level.
11.	Commerce	Commerce with accountancy/cost accounting/financial accountancy, as the main subject.
12.	Home Science	Home Science
13.	Agriculture	Agriculture
14.	Urdu	M.A. (Urdu)/Adeeb.A.Fazil (two year course) from Jamia Urdu Aligarh
15.	Mathematics	Mathematics/Applied Mathematics